दस रुपये COURT FEE भारत TEN RUPEES

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

नि /3707-II-15

1. विनित अग्रवाल तनय रमेशचंद अग्रवाल,
निवासी 105/30 सराफा बाजार झांसी उ०प्र० ....आवेदक

//विरूद्ध//

1. अशोक कुमार तनय कुंवरलाल जैन
प्रवंधक मोटल्स एण्ड रिसोर्स्ट लिमि. ओरछा तह. ओरछा जिला टीकमगढ़
2. मानसींग तनय माधव प्रसाद खंगार
निवासीओरछा तह. ओरछा जिला टीकमगढ़
3. श्रीमति प्रभाजून पत्नी जयदेव सिंह
निवासी सांवत नगर ओरछा
4. रामशरण तनय रामगोपाल नामदेव
निवासीओरछा तह. ओरछा जिला टीकमगढ़
5. बाबूलाल तनय घुरके साहू,
निवासी ओरछा तह. ओरछा जिला टीकमगढ़ ....अनावेदकगण

अजय श्रीवास्तव (एड.) द्वारा आज दि- 16/11/15 को प्रस्तुत
16/11 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत् धारा-50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम के तहत्

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमाँक 44/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 09-06-2014 से परिवेदित होकर निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, विवादित भूमि खसरा नंबर 76, 77/2, 77/3 एवं 78 जो अनावेदक क्र. 2 व 3 के भूमि स्वामित्व की भूमि थी जिसमें लगे हुए काश्तकारों का आवागमन 30 वर्ष पूर्व से चले आते रहने के कारण विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार ओरछा तह. निवाड़ी के प्र.क्र. 9/अ/13 वर्ष 1990-91 आदेश दिनांक 30.09.1991 में म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 131 के तहत रूढिगत रास्ते बावत विधिसम्मत आदेश पारित किया गया जिसमें विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 द्वारा अपील 20-22 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक हितवत पक्षकार होने के उपरांत भी उसे पक्षकार बनाये बिना सुनवाई का अवसर दिए बिना विचारण न्यायालय के विधिसम्मत आदेश दिनांक 30.09.1991 को निरस्त किए जाने से यह निगरानी विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी टिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244808

XXXIX(a)-BR(H)-11

(114)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..... ..... जिला ..... टीकमगढ़.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.11.15	1. मैनें प्रकरण का आवलोकन किया यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के प्र.क्र 44/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 09/06/14 के विरूद्ध म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया है कि आवेदक एवं अनावेदिका क्र.3 को पक्षकार बनाये बिना गुपचुप तरीके से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वर्ष 1991 में पारित आदेश की अपील अवधि वधित होने के उपरांत भी स्वीकार की जाकर चालू रास्ते को बंद किए जाने का आदेश पारित किया है जबकि आवेदक एवं अनावेदिका क्र. 3 आवश्यक हितवत पक्षकार है अधीनस्थ सभी आदेश में उनका नाम पक्षकार के रूप उल्लेखित है नायब तहसीलदार ओरछा द्वारा विधिवत रूप से रूढ़िगत रास्ते को पुनः खोले जाने का आदेश पारित किया था जिसकी जानकारी सभी पक्षों को पूर्व से ही रही है 2009 में भी रास्ता बंद किए जाने पर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते हुए 30.09.91 में खोले गए रास्ते को चालू रखे जाने बावत् आदेश किए गए है जिनकी प्रति संलग्न है इस कारण उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अधिकारिता रहित एवं समयसीमा से परे होने से निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 3. उनका यह भी तर्क है इसी रास्ते के विवाद बावत् निगरानी राजस्व मंडल में विचाराधीन है तथा व्यवहार न्यायालय में भी बाद अनावेदक क्र. 1 द्वारा दायर किया गया है। जिसमें आवेदक एवं अनावेदिका क्र.3 पक्षकार है इस कारण उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना गुपचुप तरीके से वैद्यानिक प्रकिया का पालन किए बिना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है।	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4. मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में अपर आयुक्त सागर के आदेश दिनांक 09.01.14 में श्रीमति प्रभाजून पत्नी जयदेव सींग पक्षकार है आवेदक द्वारा इसी आदेश के विरूद्ध राजस्व मंडल में निगरानी विचाराधीन है। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवश्यक हितवत पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रकरण में नहीं पाता हूँ। 5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.14 निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदक एवं अन्य हितवत पक्षकारों को सनुवाई का अवसर देते हुए विधि अनुसार पुनः प्रकरण का निराकरण करें। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है आदेश की प्रति अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	